



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102022-239859
CG-DL-E-25102022-239859

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4792]
No. 4792]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 25, 2022/कार्तिक 3, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2022/KARTIKA 3, 1944

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2022

का.आ. 5009(अ).—केन्द्र सरकार, वास्तुकला परिषद् नियमावली, 1973 यथा-संशोधित 2009 के नियम 23 और 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा वास्तुकला अधिनियम, 1972 (1972 का 20) की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत चयन करने हेतु वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों में रिक्तियों को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 4-15/2022-टीएस. VI]

सौम्या गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2022

S.O. 5009(E).—In exercise of power conferred by rules 23 and 24 of the Council of Architecture Rules, 1973 as amended in 2009, the Central Government hereby notifies the vacancies in the offices of the President and the Vice-President of the Council of Architecture to be elected under sub-section (1) of Section 4 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972).

[F. No. 4-15/2022-TS.VI]

SAUMYA GUPTA, Jt. Secy.